ए.

विरेन्द्र

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 466)

बी.

11 जुलाई, 2022

[संजय किशन कौल और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।302 आर/डब्ल्यू एस।34 – हत्या-अभियोजन मामला कि पीड़ित को एक लंबित संपत्ति विवाद को लेकर तीन व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी और मार दिया गया था-उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई-अन्य दो-अपीलार्थी और अन्य यू/एस को दोषसिद्धि गया।302/34 और शस्त्र अधिनियम और निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा-इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील-आयोजितःअभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के खिलाफ चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है-हथियार की बरामदगी साबित नहीं हुई-आरोपी को फंसाने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है-अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता-इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** पी**.** डब्ल्यू**. 15-**स्टार चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है**,** जैसा कि स्वयं अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ है**,** जो अनियंत्रित थे। वसूली कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित नहीं होने के कारण**,** अपीलार्थी को फंसाने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त साक्ष्य के साथ**,** दी गई दोषसिद्धि को पलटने में कोई संकोच नहीं है

क्योंकि यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करने के अपने प्रयास में विफल रहा है, कि अपीलार्थी ने अपराध किया है।इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी को मुक्त कर दिया जाता है।**[**पैरा **10] [471-**जी-एच**; 472-**ए**]**

ई.

एफ.

1.2 दोनों अदालतों ने बचाव पक्ष पर बोझ डाल दिया।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को या तो उदासीन गवाहों के रूप में या अप्रासंगिक साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था।ये सभी अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया था।पी**.** डब्ल्यू**. 10** के अलावा उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने या उनकी फिर से जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।एक भी नहीं

जी.

एच.

464 ए.

465

विरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

पीडब्लू**15** की उपस्थिति में उन्हें सुझाव दिया गया।ऐसे परिदृश्य में**,** अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दिया गया बयान निश्चित रूप से उसके लाभ के लिए होगा। अपीलार्थी से वसूली पर भरोसा किया गया था।तथ्य यह है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि केवल एक गोली चलाई गई थी जिसे पीडब्लू**15** के साक्ष्य से भी देखा जा सकता था।बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का आकलन करते समय**,** अदालतों ने उन्हें इस तथ्य की सराहना किए बिना खारिज कर दिया कि इसे केवल संभावना की डिग्री पर देखा जाना चाहिए।**[**पैरा **7] [470-**डी-एफ**; 471-**बी-सी**]**

बी.

राजा राम बनाम राजस्थान राज्य (2005) 5 एससीसी 272; जावेद मसूद बनाम राजस्थान राज्य (2010) 3 एससीसी 538:[2010]

सी.

3 एस**.** सी**.** आर**. 236-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

(2005) 5 एससीसी **272**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

डी.

[2010] 3 एससीआर **236**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2018 की आपराधिक अपील संख्या 466।

2005 की आपराधिक अपील संख्या 1367 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.11.2017 के निर्णय और आदेश से।सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदित्य विजय कुमार, सुश्री अक्षिता कटोच, चित्रांशुल ए. सिन्हा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री अंकिता चौधरी, डिप्टी कमिश्नर। ए. जी., पशुपति नाथ राजदान, पद्मेश मिश्रा, प्रखर श्रीवास्तव, स्नेह बैरवा, सुश्री हिमांशी शाक्य, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.**

1. चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छतरपुर, मध्य प्रदेश की अदालत द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अभिरक्षा के साथ दी गई आजीवन कारावास हमारे समक्ष दर्ज है।

जी.

भविष्य की नज़रों के माध्यम से तथ्य

2. आई. डी. 1 पर मृतक मैन बाबू की कथित तौर पर तीन अभियुक्तों बैजनाथ, विरेंद्र और सुरेश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

एच.

लंबे समय से लंबित संपत्ति विवाद पर, उनके पक्ष में निर्णय के बावजूद।बैजनाथ, जो अन्य दो अभियुक्तों के पिता थे, की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।07 बजे हुई घटना के लिए:30 मृतक के पिता पीडब्लू 14 द्वारा 08 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी:30 ए. एम. पीडब्लू16, अनुसंधान अधिकारी ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद विरेंद्र (अपीलार्थी) और सुरेश से आग्नेयास्त्र बरामद किए और उसके बाद अनुसंधान पूरी की।

बी.

3. अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए और तदनुसार मुकदमा चलाया गया।अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष द्वारा 8 के मुकाबले 17 गवाहों से पूछताछ की।निचली अदालत ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त सुरेश के खिलाफ दोषसिद्धि प्रदान की।सह-अभियुक्त ने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी और अपनी सजा पूरी की।अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।अपीलार्थी को आजीवन कारावास की दोषसिद्धि सुनाते हुए विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की जाती है।

सी.

डी.

गवाहों

4. हम दिए गए दोषसिद्धि का परीक्षण करते समय केवल आवश्यक गवाहों पर विचार करेंगे:-

(i) पीडब्लू1:वह एक प्रत्यक्षदर्शी है जिसने गोली की आवाज सुनी थी।उन्होंने मृतक को गेट के पास लेटे हुए देखा।वहाँ और कोई नहीं था।इसके बाद, वह एक राजू को सूचित करने गया और पाया कि मृतक का शव उपलब्ध नहीं था।घटना के समय पीडब्लू3 अपनी चाय की दुकान पर बैठा था।वह लगभग 10 से 15 मिनट तक शव के पास रहे।घटना के बाद, कई अन्य लोग भी मृतक को देखने आए।वह विशेष रूप से कहते हैं कि पीडब्लू15 बहुत बाद में आया।

ई.

एफ.

पीडब्लू1 का साक्ष्य वास्तव में बचाव के मामले का समर्थन करता है।दुर्भाग्य से, इस गवाह को शत्रुतापूर्ण नहीं माना गया है।

((ii) पीडब्लू 3:वह एक और गवाह है जिसने गोली की आवाज सुनी थी।उन्होंने मृतक को मौके पर पड़ा देखा।उन्होंने अदालत में अभियुक्तों की पहचान की और उसके बाद बयान दिया कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि अभियुक्त को किसी अन्य व्यक्ति ने गोली मार

दी थी।उसने सुना कि एक बार उस व्यक्ति द्वारा गोली चलाई जा रही थी जो वास्तव में भागते समय हथियार ले जा रहा था।अपनी जिरह में वह एक सुशील, डी. डब्ल्यू. 2 के अपनी दुकान से चाय पीने की बात करता है।पी. डब्ल्यू. 3 का सबूत पी. डब्ल्यू. 1 के साथ समक्रमित होता है, चाय की दुकान का मालिक होने के नाते, जिसने गोली की आवाज सुनी थी।उन्होंने डीडब्ल्यू2 को मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए कहा।इसके बाद, पीडब्लू15 ए में आया।

जी.

एच.

467

विरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

घटना स्थल का पता लगाया और इस बारे में पूछताछ की कि क्या उन्होंने वास्तविक घटना देखी है, जिस पर उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।

दुर्भाग्य से, अभियोजन पक्ष के संस्करण के लिए विनाशकारी होने के बावजूद पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को भी उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करने की कोशिश करके या फिर से जांच के माध्यम से महाभियोग नहीं चलाया गया है और इस प्रकार पी. डब्ल्यू. 1 के मामले में खड़े होने की अनुमति दी गई है।

बी.

(iii) पीडब्लू 7:वह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक की जांच की और पोस्टमार्टम किया।हालाँकि उन्होंने अपदस्थ किया कि मृतक की मृत्यु बाहरी चोटों के कारण हुई थी, लेकिन यह उनका प्रमाण है कि दोनों प्रमुख चोटें, अर्थात् एन. ओ. एस. की चोट। 1 और 3 प्रकृति की समानता के साथ समान आकार के होने के कारण, यह संभव है कि वे एक ही आग्नेयास्त्र से हों और इसलिए, एक ही शॉट के कारण हो सकते हैं।

सी.

((iv) पीडब्लू10:यह गवाह मृतक की पत्नी है, जो गवाही देने के समय अपने बहनोई, अर्थात् मृतक के भाई के साथ रह रही थी।उसने पीडब्लू15 की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की थी और अभियोजन पक्ष के बयान से पीछे हट गई थी।जैसे ही विवेक की शुरुआत हुई, अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया।

डी.

(v) पीडब्लू13:वह मृतक का भाई है।उन्होंने न केवल यह बयान दिया कि वह सूचना मिलने पर घटना स्थल पर आए थे, बल्कि मृतक के साथ एक लड़की को खून बहते हुए भी देखा था।

अपनी मुख्य जाँच में, वह कहता है कि वह पुलिस हिरासत में 27.04.2001 पर अपीलार्थी से मिला था।यह गवाह न केवल घटना के बाद अपनी उपस्थिति के बारे में बोलता है, जिसने मृतक और लड़की को चोटों के साथ देखा था; बल्कि दोनों अभियुक्तों से हथियारों की बरामदगी के लिए एक मजार गवाह के रूप में भी बुलाया गया था।यह उसका सबूत है कि पुलिस ने उसे मनोज दीक्षित नाम के एक अन्य गवाह के साथ गवाही देने के लिए बुलाया था, जो एक करीबी रिश्तेदार भी है लेकिन उससे पूछताछ नहीं की गई थी।यह उसका आगे का मामला है कि घटना की रात ही अपीलार्थी से पिस्तौल बरामद की गई थी।पीडब्लू 13 का यह साक्ष्य जांच अधिकारी पीडब्लू 16 के साक्ष्य के विपरीत है।इस गवाह ने वसूली मजार की सामग्री को नहीं पढ़ा है और कहा है कि उसके खिलाफ मामले लंबित हैं।

ई.

एफ.

जी.

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साक्ष्य न केवल पीडब्लू 16 द्वारा दिए गए बयान का बल्कि अभियोजन पक्ष के बयान का भी खंडन करता है।यह अजीब है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे वसूली के उद्देश्य से कैसे बुलाया, जबकि कई अन्य उपलब्ध थे।

(vi) पीडब्लू-14:पीडब्लू14 एफ. आई. आर. का लेखक है। वह मृतक का पिता है।उन्होंने बताया कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।यह

एच.

बयान स्पष्ट रूप से पीडब्लू 13 के साक्ष्य के खिलाफ है।उन्हें घटना के बारे में पीडब्लू15 द्वारा सूचित किया गया था।जब वह घटना स्थल पर गया तो पुलिस भी वहां मौजूद थी।हालाँकि, न तो घटना स्थल पर और न ही अस्पताल में एफ़. आई. आर. दर्ज की गई क्योंकि यह उसका मामला है कि पुलिस ने उसे अस्पताल से पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा।यह भी अजीब है कि पुलिस घटना स्थल पर कैसे पहुंची क्योंकि सूचना के स्रोत का पता नहीं है।

बी.

(vii) पीडब्लू-15:पीडब्लू-15 अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह है।यह इस गवाह की गवाही है जिसने अदालतों को दोषसिद्धि देने के लिए प्रेरित किया।मुख्य जाँच में, यह गवाह बताता है कि सुबह 8 से 8.15 बजे के बीच, वह कुछ आर्थिक सहायता लेने के उद्देश्य से मृतक से

मिलने के लिए अपने घर से निकला था।इसके बाद वह मृतक की तलाश में गया।हम नहीं जानते कि वह कैसे एक चश्मदीद गवाह हो सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला बहुत विशिष्ट है कि घटना सुबह 7:30 बजे हुई थी। यह गवाह चोरी, डकैती, दोहरी हत्या और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के मामलों का सामना कर रहा था। वह एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल भी है।

सी.

डी.

इस गवाह के अनुसार, उसने केवल सुरेश को बंदूक लिए हुए और मृतक को गोली मारते हुए देखा।अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों द्वारा इस गवाही की पुष्टि नहीं की गई थी।यहां तक कि उनकी उपस्थिति पर भी संदेह है क्योंकि उन्हें घटना के बहुत बाद घटनास्थल पर देखा गया था।वह वही है जिसने अपीलार्थी की जमानत याचिका का विरोध किया, इसके अलावा बाद की घटना के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें उसे गवाही नहीं देने की धमकी दी गई थी। पूर्व पुलिस अधिकारी होने के बावजूद, उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन जाने या पास में रहने वाले मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 10 को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई।इसके बजाय, वह घर चला गया और उसके बाद पीडब्लू 14 और अन्य लोगों को सूचित किया।यह उनका प्रमाण है कि घटना स्थल के पास चाय की कोई दुकान नहीं थी।इस गवाह के खिलाफ आपराधिक आरोपों में से एक में आरोपी गवाह था।वह स्वीकार करता है कि मृतक के स्थान तक पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे।उसके सबूत के बावजूद कि एक अन्य लड़की भी घायल हो गई थी, अभियोजन पक्ष द्वारा इस पहलू पर कोई अनुसंधान नहीं की गई, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह उसकी उपस्थिति के बारे में नहीं बोलते हैं।गवाही की प्रकृति और आसपास की पृष्ठभूमि से, इस गवाह पर निश्चित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत एक तथ्य है और इस प्रकार, प्रासंगिक हो जाता है।यह अत्यधिक असंभव है कि यह गवाह घटना स्थल पर मौजूद रहा होगा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

469

विरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

ए.

(viii) पीडब्लू-16:वह जाँच अधिकारी हैं।जाँच अधिकारी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में बात करता है।जहाँ तक अपीलार्थी से हथियारों की बरामदगी का संबंध है, इस गवाह का कहना है कि उसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी ज्ञापन तैयार नहीं किया था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वसूली कैसे की गई थी।उठाए गए कई प्रश्नों के लिए, उन्होंने अज्ञानता का नाटक किया।ट्रायल कोर्ट ने पाया कि मूल एफ़. आई. आर. को फाड़ दिया गया था और सीरियल नंबरों का मिलान नहीं हुआ था।वह स्वीकार करते हैं कि पुलिस स्टेशन में उपलब्ध और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजे गए पैराग्राफ नंबरों के बीच कुछ बदलाव हो सकते हैं।

बी.

पी. डब्ल्यू. 16 के साक्ष्य, जिसमें एक राय की विशेषताएँ हैं, को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के आलोक में अपीलार्थी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि चर्चा की गई है।

सी.

(ix) डी. डब्ल्यू.-1 और 2:अब, हम बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर आएंगे।डी. डब्ल्यू. 1 दूध विक्रेता है जिसकी उपस्थिति के बारे में पी. डब्ल्यू. 3 ने भी बताया था।इसी तरह, पीडब्लू3 से संबंधित चाय की दुकान में चाय पी रहे डीडब्ल्यू2 की उपस्थिति के बारे में भी उन्होंने बात की थी।इन दो गवाहों का कहना है कि अपराध करने वाला व्यक्ति आरोपी नहीं था।हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष पर भारी बोझ डालते हुए और पीडब्लू15 के बयान को मंजूरी देते हुए सबूतों को खारिज कर दिया।हम यह भी नोट कर सकते हैं कि जहां तक पीडब्लू15 की विलंबित उपस्थिति का संबंध है, डीडब्ल्यू1 ने पीडब्लू1 और पीडब्लू3 के साक्ष्य के अनुरूप बयान दिया है।इसके अलावा, डी. डब्ल्यू. 1 ने पी. डब्ल्यू. 3 की तरह ही कहा है कि उक्त गवाह ने डी. डब्ल्यू. 2 को मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए कहा है।

डी.

ई.

विदेशी विज्ञान प्रयोगशाला **(**एफएसएल**)** रिपोर्ट

5. राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई एफ. एस. एल. रिपोर्ट में कहा गया है कि ए-1 को प्रदर्शित करें।12 बोर स्थानीय रूप से निर्मित पिस्तौल है और ए-2 को प्रदर्शित करता है।12 बोर सिंगल बैरल बंदूक।अभियोजन पक्ष का मामला है कि गोली प्रदर्शनी ए-1 से चलाई गई थी, जबकि संबंधित अधिकारी की राय से संकेत मिलता है कि खाली कार्ट्रिज प्रदर्शनी ए-2 से चलाई गई थी।हालाँकि अदालतों ने इस रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन हम अपनी मंजूरी की मुहर नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम कुछ विरोधाभास पाते हैं जो इसे लिखने वाले अधिकारी की उपस्थिति से दूर नहीं हुए हैं।

एफ.

जी.

रिकवरी

6. पीडब्लू 13 और एक मनोज दीक्षित को अपीलार्थी से वसूली ज्ञापन के गवाह के रूप में बनाया गया था।हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि

एच.

पीडब्लू13 का साक्ष्य जो पीडब्लू16 के विपरीत है।दूसरे गवाह, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार भी हैं, से अज्ञात कारणों से पूछताछ नहीं की गई थी।पीडब्लू13 ने कहा है कि अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसका साक्ष्य गिरफ्तारी और वसूली पर गंभीर संदेह पैदा करता है।पी. डब्ल्यू. 16 द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी का स्थान और समय स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका।अभियोजन पक्ष ने एक मामला रखने की कोशिश की कि दोनों हथियारों से गोलियां चलाई गईं जो उपलब्ध सबूतों के साथ भी साबित नहीं हुईं।सह-अभियुक्त से बनी बंदूक की बरामदगी अपीलार्थी के स्वामित्व में थी।सह-अभियुक्त के कब्जे में हथियार कैसे आया और किसने इसका इस्तेमाल किया, यह अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है।यहां तक कि पीडब्लू-13 और 15 का सबूत भी इस आशय का है कि केवल एक के पास बंदूक थी और वह सह-आरोपी सुरेश हो सकता है।हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, बचाव पक्ष को छोड़कर, घटना के स्थान पर अपीलार्थी की उपस्थिति अत्यधिक असंभव है।

बी.

सी.

परीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय का कारण

डी.

7. दोनों अदालतों ने बचाव पक्ष पर बोझ डाल दिया।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को या तो उदासीन गवाहों के रूप में या अप्रासंगिक साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था।हम ध्यान दे सकते हैं कि ये सभी अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया था।पी. डब्ल्यू. 10 के अलावा उनके साथ शत्रुतापूर्ण

व्यवहार करने या उनकी फिर से जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।पीडब्लू15 की उपस्थिति पर उन्हें कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था।ऐसे परिदृश्य में, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दिया गया बयान निश्चित रूप से उसके लाभ के लिए होगा। राजा मामले में इस न्यायालय के फैसले से हमारा दृष्टिकोण मजबूत हुआ है।

ई.

राम बनाम राजस्थान राज्य, (2005) 5 एससीसी 272:

एफ.

"9. लेकिन अभि.सा. 8 डॉ. सुखदेव सिंह, जो एक अन्य पड़ोसी हैं, की गवाही को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है।उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि उन्होंने अभि.सा. 5 को मृतक को यह विश्वास दिलाते हुए देखा कि जब तक वह अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दोष नहीं डालती, उसे अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।निचली अदालत में लोक अभियोजक के लिए ऐसा नहीं हुआ कि वह केवल ज्ञात कारणों से अभि.सा. 8 को शत्रुतापूर्ण गवाह के रूप में सुनने (एस. आई. सी. घोषित करने) के लिए अदालत की अनुमति ले।अब, जैसा कि है, अभि.सा. 8 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है।अभि.सा. 8 की गवाही को कैसे दरकिनार किया जा सकता है, इसके बारे में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निश्चित रूप से कोई कारण, किसी भी अच्छे कारण से कम नहीं कहा गया है।"

जी.

एच.

471

विरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

ए.

इसे जावेद मसूद बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 3 में दोहराया गया है।

एससीसी 538:

"20. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने कभी भी पीडब्लू 6,18,29 और 30 को "शत्रुतापूर्ण" घोषित नहीं किया।उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते थे।इसके बजाय, इसने बचाव का समर्थन किया।कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचाव पक्ष को अपने साक्ष्य पर भरोसा करने से रोकता हो।"

बी.

अपीलार्थी से वसूली पर भरोसा किया गया था।तथ्य यह है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि केवल एक गोली चलाई गई थी जिसे पीडब्लू15 के साक्ष्य से भी देखा जा सकता था।बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का आकलन करते समय, अदालतों ने उन्हें इस तथ्य की सराहना किए बिना खारिज कर दिया कि इसे केवल संभावना की डिग्री पर देखा जाना चाहिए।

सी.

प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री नित्या रामकृष्णन ने ऊपर उल्लिखित दुर्बलताओं को दोहराया।इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि आग्नेयास्त्रों का परीक्षण करने की प्रक्रिया पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत साहित्य, एफ. एस. एल. रिपोर्ट का अभाव पाया गया है।यह एक राय होने के नाते, अदालतों द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब दूसरे की जांच नहीं की गई है।

डी.

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश उप महाधिवक्ता सुश्री अंकिता चौधरी ने कहा कि दोषपूर्ण सुनवाई और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में असंगतता आरोपी को अपराध से दोषमुक्त नहीं करेगी।अपीलार्थी को फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।चूँकि दोनों न्यायालयों ने उन पर विस्तार से विचार किया है, इस न्यायालय के हाथों हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

ई.

एफ.

निष्कर्ष

10. हम अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अदालतों द्वारा उनसे निपटने के तरीके पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।निश्चित रूप से, पी. डब्ल्यू. 15 के साक्ष्य पर अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो अनियंत्रित थे।बरामदगी कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी को फंसाने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त साक्ष्य के साथ, हमें दी गई दोषसिद्धि को पलटने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करने के अपने प्रयास में विफल रहा है, कि अपीलार्थी ने अपराध किया है।

जी.

एच.

इस प्रकार, चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा 2001 के सत्र परीक्षण संख्या 129 में दी गई दोषसिद्धि, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की आपराधिक अपील संख्या 1367 में पुष्टि की गई है, खारिज कर दी गई है और अपीलार्थी को मुक्त कर दिया गया है।अपील की अनुमति है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.